10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

20रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय ~~आयुक्त ग्वालियर संभाग~~ राजस्व मण्डल म.प्र., ग्वालियर

प्र.क्रं. /2018 पुनरीक्षण निगरानी-3403/2018/सीधी/भू.रा.

श्री मुकेश भार्गव आदि द्वारा आज दि. 1-6-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 19-6-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

19-6-18

मुकेश भार्गव
01-6-18 एडवोकेट
ग्वालियर

हिन्छलालराम पुत्र सुकदेवराम ब्रा.
निवासी ग्राम खड़बड़ा तहसील सिंहावल
जिला सीधी (म.प्र.)

.... आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, सीधी

.... अनावेदक

<u>न्यायालय नायब तहसीलदार सिंहावल जिला सीधी (म.प्र.) द्वारा रा.प्र. क. /2016–17 में पारित आदेश दिनांक 02.04.18 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।</u>

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि –

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

2– यह कि, वादग्रस्तभूमि आवेदक के पूर्वजों के स्वत्व, स्वामित्व की भूमि है। वादग्रस्त भूमि पर आवेदक के पूर्वज वर्षो से काबिज होकर कृषि करते चले आ रहे हैं। पूर्वज के मृत होने पर आवेदक काबिज होकर कृषि करते चले आ रहे है।

3– यह कि, वादग्रस्त भूमि बिना किसी सक्षम प्राधिकारी के राजस्व अभिलेख में म.प्र. शासन दर्ज कर दी एवं कब्जेदार में आवेदक का नाम दर्ज कर दिया जबकि वाद भूमि आवेदक के पूर्वजों के स्वत्व स्वामित्व की भूमि है।

आवक क्र. 01 पृष्ठ क्र. दिनांक 1/6/18 हस्ताक्षर व नाम

हिन्दलालराम / शासन

(83)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग- 3403/2018/सीधी/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
06/2/19	इस प्रकरण में दिनांक 7/9/18 को उभय पक्ष अधिवक्ता के तर्क सुने जाकर प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था। प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी नायब तहसीलदार सिंहावल के प्रकरण क्रमांक — में पारित आदेश दिनांक 02/04/18 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है । म0प्र0 भू0राजस्व संहिता में दिनांक 25/09/2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत इस न्यायालय को सुनवाई किये जाने तथा आदेश पारित किये जाने की अधिकारिता नहीं है । अतः नवीन संशोधन के अनुसार सुनवाई हेतु यह प्रकरण कलेक्टर जिला सीधी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 29/4/19 को कलेक्टर जिला सीधी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । 6/2/19 सदस्य	